

भारत सरकार  
नागर विमानन मंत्रालय  
लोक सभा

अतारंकित प्रश्न संख्या :2818

दिनांक 5 अगस्त, 2021/14 श्रावण, 1943 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

**ग्रीनफील्ड विमानपत्तनों के लिए नीति**

2818. श्री रवि किशन:

श्री रविन्दर कुशवाह:

श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:

श्री प्रतापराव जाधव:

श्री विद्युत बरन महतो:

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:

श्री चंद्र शेखर साहू:

श्री सुब्रत पाठक:

श्री सुधीर गुप्ता:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2008 में ग्रीनफील्ड विमानपत्तनों की स्थापना के लिए कोई नीति बनाई थी;

(ख) यदि हां, तो इससे संबंधित दिशा-निर्देशों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 2008 के बाद से विमानन क्षेत्र में जबरदस्त विकास और परिवर्तन हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें क्या परिवर्तन आया है;

(घ) क्या सरकार का ग्रीनफील्ड विमानपत्तन नीति, 2008 की समीक्षा करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी कब तक समीक्षा किए जाने की संभावना है;

(ड.) अब तक ग्रीनफील्ड विमानपत्तनों की स्थापना से प्राप्त प्रस्तावों और ऐसे प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (डा.) विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त))**

(क) और (ख): भारत सरकार ने एक ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा नीति, 2008 निरूपित की है जिसमें देश में नए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों की स्थापना के लिए दिशानिर्देशों, प्रक्रिया और शर्तों का प्रावधान किया गया है। नीति के अनुसार, एक हवाईअड्डे की स्थापना करने के इच्छुक राज्य सरकार सहित हवाईअड्डा प्रचालक द्वारा नागर

विमानन मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा जाना अपेक्षित है। प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए एक 2-स्तरीय प्रक्रिया है, यथा 'साइट क्लियरेंस' और 'सिद्धांत रूप में' अनुमोदन की अवस्था। इस नीति के अनुसार, नागर विमानन मंत्रालय को राज्य सरकारों या हवाईअड्डा विकासकर्ताओं की ओर से समय समय पर हवाईअड्डों की स्थापना के प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। विधिवत जांच के बाद, नए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के विकास के लिए अनुमोदन प्रदान किया जाता है। हवाईअड्डा परियोजना का कार्यान्वयन, जिसमें परियोजना की वित्त-व्यवस्था भी शामिल है, संबंधित हवाईअड्डा विकासकर्ता का दायित्व है।

(ग): भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ रहे विमानन बाजारों में से एक है। भारत इस समय तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है और वर्ष 2024 तक इसके तीसरा सबसे बड़ा समग्र (घरेलू और अंतरराष्ट्रीय सहित) बाजार बनने की संभावना है। सरकार ने देश में नागर विमानन सेक्टर के विकास के लिए अनेक कदम उठाए हैं, जिनमें, अन्य कदमों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं-

(i) मौजूदा और नए हवाईअड्डों का स्तरोन्नयन और विस्तार।

(ii) नए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों का निर्माण।

(iii) क्षेत्रीय सम्पर्कता योजना (आरसीएस) - उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान) के अंतर्गत हवाईअड्डों का विकास/पुनरुत्थान।

(iv) मौजूदा और नए हवाईअड्डों में पीपीपी मार्ग के माध्यम से निजी निवेश को बढ़ावा।

(v) भारतीय हवाईअड्डों पर हवाई दिक्कालन अवसंरचना में सुधार लाना।

(vi) कुशल वायुक्षेत्र प्रबंधन, छोटे मार्गों एवं न्यूनतम ईंधन खपत के लिए भारतीय वायु सेना के साथ समन्वय स्थापित कर भारतीय विमानक्षेत्र में मार्गों का युक्तिकरण।

(vii) घरेलू अनुरक्षण, मरम्मत और ओवरहॉल (एमआरओ) सेवाओं के लिए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दर को घटाकर 5 प्रतिशत किया जाना।

(viii) स्वास्थ्य मानकों का अनुपालन करने और यात्री प्रवाह प्रबंधन की कुशलता में संवर्धन के लिए बायोमीट्रिक्स और डिजिटल बोर्डिंग पासों का उपयोग करके हवाईअड्डों पर यात्रियों की कागज रहित संभलाई को प्रोत्साहन प्रदान करना।

(ix) कुशलता में संवर्धन करने और इवैल टाइम को घटाने के लिए हवाई कार्गो टर्मिनलों पर डिजिटल प्रोद्योगिकी के अधिकाधिक प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाना और।

(x) अग्रणी विमान और कलपुर्ज निर्माताओं को अपने डिजाइन, विनिर्माण, अनुरक्षण और गोदाम सुविधाएं भारत में स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना।

(घ): जी नहीं।

(ड.): भारत सरकार देश भर में 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों नामतः गोवा में मोपा, महाराष्ट्र में नवी मुंबई, सिंधुदुर्ग एवं शिरडी, कर्नाटक में बीजापुर, हासन, कालाबुर्गी एवं शिमोगा, मध्य प्रदेश में डाबरा (ग्वालियर), उत्तर प्रदेश में कुशीनगर एवं जेवर (नोयडा), गुजरात में ढोलेरा एवं हीरासर, पुडुचेरी में कराइकल, आंध्र प्रदेश में दागादर्थी, भोगपुरम एवं ओर्वाकल, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर, सिक्किम में पाक्यॉंग, केरल में कन्नूर तथा अरुणांचल प्रदेश में होलौंगी (ईटानगर) को स्थापित करने का 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान कर चुकी है। इनमें से, छह ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे नामतः महाराष्ट्र में शिरडी, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर, सिक्किम में पाक्यॉंग, केरल में कन्नूर, आंध्र प्रदेश में ओर्वाकल (कूरनूल) तथा कर्नाटक में कालाबुर्गी प्रचालनिक हो चुके हैं। ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा नीति के तहत हिमाचल प्रदेश में मंडी, केरल में कोट्टायम, उत्तराखंड में पंतनगर और महाराष्ट्र में पुरांदर (पुणे) के लिए भी प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं।

